डीजी परिपत्र संख्या-37/2015

अरविन्द कुमार जैन,
आईपीएस

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।
1-बी0एन0 लहरी मार्ग, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः मई 19,2015

विषय- चेन स्नैचिंग की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में।

प्रिय

चेन स्नैचिंग की घटनाओं के रोकथाम हेतु प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1279पी/छः-पु-3-2014-57 पी/2014 दिनांक 15.05.2015, जो आप समस्त को सम्बोधित एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को पृष्ठांकित है जिसकी छायाप्रति संलग्न है, का सन्दर्भ ग्रहण करें। शासन के सन्दर्भित पत्र में चेन स्नैचिंग के रोकथाम के सम्बन्ध में अनुपालनार्थ विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। जो विशेष रूप से अवलोकनीय है।

आप सभी अवगत होगें कि चेन स्नैचिंग की घटना अत्यंत संवेदनशील घटना होती है जिससे जन मानस विशेषकर महिलाओं में असुरक्षा एवं भय की भावना व्याप्त होती है। अतएव पुलिस का यह दायित्व है कि इस प्रकार की घटना न घटे एवं इसे रोकने के लिए सभी प्रकार के प्रयास करने चाहिए। महिलाओं के प्रति होने वाले समस्त अपराधों को नियन्त्रित कर उन्हे सुरक्षा प्रदान करने यथा-महिलाओं के साथ लूट, बलात्कार, चेन स्नैचिंग एवं छेड़छाड़ आदि अपराधों की रोकथाम के लिए इस मुख्यालय से समय-समय पर विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। पूर्व में निर्गत निर्देशों में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कार्ययोजना बनाकर प्रभावी ढ़ंग से कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया था जिससे महिलाओं के प्रति घटित अपराधों में सजगता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही की जाय। पूर्व के सन्दर्भ देने का आशय यह है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को नियन्त्रित करना उ0प्र0 पुलिस बल एवं शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। महिलाओं की सुरक्षा एवं महिलाओं की शिकायतों का निस्तारण संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता से होना चाहिए।

महिलाओं के प्रति घटित होने वाले ऐसे अपराधों की रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण सुझाव इंगित किये जा रहे है जिसे प्राथमिकता से सम्पादित कराया जाए जो निम्नवत है:-

- महिला कालेजो, भीड़-भाड़ वाले स्थलों यथा-सिनेमाघरों, शॉपिंगमॉलों, बाजारों आदि स्थानों पर पुलिस कर्मियों एवं महिला पुलिस कर्मियों को सादे परिधान में अति व्यस्ततम समय में नियुक्त किया जाए।
- इस प्रकार की संवेदनशील डियूटियों पर थानों में उपलब्ध डिजीटल कैमरा के प्रयोग पर भी विचार कर लिया जाए।
- नगर नियन्त्रण कक्ष के फोन नम्बर एवं 100 नम्बर का भली-भॉति प्रचार-प्रसार कराया जाए एवं इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर समुचित वैधानिक कार्यवाही की जाए।
- महिलाओं के प्रति घटित होने वाले अपराधों के रोकथाम हेतु वूमेन हेल्प लाइन नम्बर 1090 वर्तमान में क्रियाशील है, जिसे वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार कराया जाए।
- जनपद के महत्वपूर्ण बाजारों में बाजार के प्रमुख समय में गश्त एवं पिकेट व्यवस्था लगाकर चेन स्नैचिंग एवं महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम की जा सकती है।

- महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटित घटना की सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक तत्परता से अभियोग पंजीकृत कर पुलिस पार्टी भेज कर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाए तथा अपराध का न्यूनीकरण न किया जाए।
- घटना की सूचना तुरन्त नियन्त्रण कक्ष को देनी चाहिए तथा नाकेबन्दी कर अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास करना चाहिए।
- ऐसे संवेदनशील स्थान जहां पर इस प्रकार की घटनाएं होने की आशंका हो, चिन्हित कर वहां पर गश्त/पेट्रोलिंग की सुदृढ व्यवस्था की जाए।
- इस प्रकार की घटनाओं को कारित करने वाले अपराधियों को चिन्हित कर उनकी निगरानी की जाये एंव सम्बन्धित बीट कान्सटेबिल को जिम्मेदारी दी जाये कि वे इनकी गतिविधियों की जानकारी करते रहे ।
- क्षेत्राधिकारी द्वारा स्वयं इस प्रकार की घटनाओं में समन्वय स्थापित कर घटनाओं का अनावरण एंव अभियुक्तों की गिरफतारी सुनिश्चित करायें ।
- यह भी उचित होगा कि जिन क्षेत्रों में चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही है उनका विस्तृत अध्ययन कर प्रभावी कार्ययोजना बनायी जाए जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लग सके।
- महिलाओं की शिकायतों को गम्भीरतापूर्वक लेकर उनकी शिकायतों एवं प्रार्थना पत्रों का निस्तारण त्वरित गति से किया जाना चाहिए।
- महिला पुलिस थानों को इस दिशा में महिलाओं के प्रति घटित अपराधों के नियन्त्रण सम्बन्धी कार्ययोजना बनाकर तत्परता से कियाशील करें।

उपरोक्त बिन्दु आपके मार्गदर्शन हेतु है, इसके अतिरिक्त जनपद में भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत आप अपने स्तर से इस प्रकार के अपराधों के रोकथाम हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद में चेन स्नैचिंग एवं महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु अपने अधीनस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवगत कराते हुए इन अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

19.5

(अरविन्द कुमार जैन)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-1.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।